

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 राजपुरा

अनुवान मुस्ताक मोहम्मद बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 604/2025

निर्णय दिनांक 19/12/25

मुस्ताक मोहम्मद पुत्र मंगतु खान जाति मुसलमान निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।

बनाम

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अप्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 राजपुरा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 577 के खसरा नं. 755/328 तादादी 6.6766 हेक्ट. रोही ग्राम राजपुरा तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम मुस्ताकदीन पुत्र मंगतु दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम मुस्ताक मोहम्मद पुत्र मंगतु खान है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम मुस्ताकदीन पुत्र मंगतु के स्थान पर मुस्ताक मोहम्मद पुत्र मंगतु खान किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 577 के खसरा नं. 755/328 तादादी 6.6766 हेक्ट. रोही ग्राम राजपुरा तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मुस्ताकदीन पुत्र मंगतु Delete कर इसके स्थान पर मुस्ताक मोहम्मद पुत्र मंगतु खान अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 राजपुरा में लिखाया

जाकर सुनाया गया।



Rajendra
राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)